राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 894वी बैठक दिनांक 29.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 894वी बैठक दिनांक 29.08.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

रेत खनन के प्रकरणों में Annual Replenishment Study की स्थिति स्पष्ट न होने व अन्य बिन्दुओं पर चर्चा हेतु प्राधिकरण द्वारा दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ दिनांक 03.09.2025 को बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में हुई चर्चा एवं प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशानुसार म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा रेत खदानों की 03 वर्ष का Replenishment Study Data तैयार कर ई–मेल दिनांक 04.09.2025 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study Data के आधार पर रेत खनन के प्रकरणों में निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	3470 / 2015	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	152 / 2008	1(a)	छिन्दवाड़ा	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	6847 / 2020	1(a)	उमरिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	9899 / 2023	7(da)	जबलपुर	बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
5.	P2 / 1313 / 2025	1(a)	डिण्डौरी	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
6.	P2 / 242 / 2024	1(a)	मंदसौर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
7.	P2 / 241 / 2024	1(a)	मंदसौर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
8.	P2 / 281 / 2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
9.	P2 / 233 / 2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
10.	P2 / 295 / 2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	P2 / 293 / 2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	P2/1318/2025	1(a)	रीवा	सिलिका सैन्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
13.	11032/2023	1(a)	सतना	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	P2/283/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
15.	P2/280/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
16.	P2/296/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
17.	P2/277/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
18.	P2/299/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/284/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
20.	P2/297/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. **Case No. 3470/2015:** Prior Environmental Clearance for Basalt Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method) in an area of 3.00 ha. for production capacity of 20580 cum/year at Khasra no. 890,889 at Village – Banikhedi, Tehsil-Daloda, District-Mandsaur (M.P.) by Shri Dinesh Patidar S/o Shri Iswar Lal Patidar, R/o Village- Elchi, Tehsil-Daloda, District-Mandsaur (MP)-458667 **Regarding Transfer of EC in the name of** M/s shree hari infratech, shri Pawan Kumar Patidar (Partner), Tirupati Nagar, Near Shagun Garden District Mandsaur

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण **हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन** परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण **में निम्नानुसार पाया गया :–**

1. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।
2. प्रकिया शुल्क की पावती प्रस्तुत नही की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 एवं 2 के दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये है जो कि एक प्रारंभिक दस्तावेज है, चूँकि प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

2. Case No. 152/2008, Prior Environmental Clerance for Dolomite mine 5.0 ha at Village Malegaon, Tehsil Souncer Chhindwara M.P. by M/s Rajkumar N. Tirpude Civil line, Nagpur, Maharashtra Regarding Transfer of EC in the name of Miraj Drymix Private Limited, Plot No 55-57 C, Bore Gaon Industrial Growth Center, Sausar, District – Chindwada.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड अनापत्ति की प्रति ।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
3. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

3. **Case No. 6847/2020** : Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual/Semi Mechanized Method) in an area of 1.191 ha. for production capacity of 10,000 cum per annum at Khasra No. 319, 320 at Village - Banka, Tehsil - Chandia, Dist. Umaria MP by Shri Rajesh Mishra S/o Shri K.P.Mishra, R/o Prabhu Narayan Nagar, Dist. Dewas, MP – 484661

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 02 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/525645/2025/ Case No 9899/2023:** Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" at Plot No.-62, 63, 64, 65 Umariya Dungariya Industrial Area, Shahpura, District-Jabalpur, (M.P.) by Shri Manmohan Kochhar, Proprietor, M/s Elite Engineers, 48, Narmada Road, Opposite Johnson Towers, District-Jabalpur (MP) Email: Eliteengineers48@gmail.com Mobile Number 9425153825 Category: B1 7(da) CBWTF Envt. Consultant: Visiontek Consultancy Services Pvt. Ltd. Bhuneswar, Odisha

1. उपरोक्त विषयांकित प्रकरण मैसर्स एलीट इंजीनियर्स, द्वारा "सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा" प्लॉट नंबर–62, 63, 64, 65 उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र, शाहपुरा, उमरिया, जिला–जबलपुर, (म.प्र.) में प्रस्तावित इकाई के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. उक्त प्रकरण ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 17.04.2015 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत 7 (da) में सम्मिलित किया गया है।
3. SEAC की 788 वीं बैठक दिनांक 28.04.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 16 से 24 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं पूर्ण विचारोपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 788 वीं बैठक दिनांक 28.04.2025 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से xvii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. पानी की आवश्यकता पूर्ति MPIDC द्वारा प्रदाय की जा रही water supply से किया किया जावें। अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

ii. प्लांट के चारों ओर तीन कतार में सघन वृक्षारोपण किया जावें।

iii. प्लांट की स्थापना रोड से अधिकतम दूरी पर की जावें ताकि रोड़ से उसकी दूरी अधिकतम मिले एवं उनसे निकलने वाली ऊष्मा एवं प्रदूषण से रोड़ से निकलने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।

iv. प्लांट के सामने रोड पर किसी भी प्रकार का परिवहन प्रभाव, प्लांट गतिविधियों द्वारा न पड़े।

v. प्लांट हेतु जैव अपशिष्ट के परिवहन में संपूर्ण सावधानी रखी जाए एवं पर्यावरण नियमों का पालन कड़ाई से किया जावें।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

v. जैव अपशिष्ट के एकत्रीकरण एवं निष्पादन 48 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावें।

vi. CBWTF का कार्यक्षेत्र का निर्धारण MPPCB द्वारा किया जावेगा जो कि बंधनकारी होगा।

vii. अपशिष्ट की राख एवं ETPके बीच का अंतिम निष्पादन प्राधिकृत TSDF में ही किया जावेगा। जिसका लेखा भी रखा जावेगा। परिवाहन एवं निष्पादन की सूचना MPPCB को दी जावेगी।

viii. प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोड़ साईट Incinerator एवं चिमनी की ओर बाउण्ड्रीवाल की ऊँचाई पर्याप्त रखी जावे।

ix. ETP के पर्यवेक्षण हेतु पृथक से विद्युत मीटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाये।

x. परियोजना स्थल का रोड़ समीपस्थ होने के कारण यदि आवश्यक हो तो, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जाये।

xi. पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गंध निवारण एवं नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों का पालन अनिवार्यतः किया जावे, साथ ही दुर्गंध के निवारण हेतु सक्षम नियंत्रण उन्नत तकनीकी से किया जाये।

xii. यह परियोजना ईकाई औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है इस कारण CETP की सुविधा न होने के कारण इकाई में Zero Liquied Discharge के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सतत् अनिवार्य है।

xiii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का परिपालन जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन एवं समन्वय में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

xiv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 में भूजल दोहन हेतु निहित प्रावधान अनुसार निर्माण कार्य के पूर्व अनिवार्यतः अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

xv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यस्थल पर इंसीनेटर के तापमान का डिस्प्ले कर उक्त तापमान का रिकार्ड अद्यतन रखा जावेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा CBWTFसे उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ठ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट से उत्सर्जित स्लज को मिलाकर अपवहन TSDF के माध्यम से किया जाये। परिसर में किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ठ का भण्डारण एवं उसका भूमि के अंदर अनिवार्यतः नहीं डाला जावे।

xvii. प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **Case No. P2/1313/2025 Prior Environment Clearance for Barkhoh Raiyat Gitti & Muram Mines (Opencast smei mechanized method), for Production Capacity of 52,182 cum/year (As per SEAC recommendation), in area – 1.220 Hectares, at khasra No. - 71 (Part), Vill. - Barkhoh Raiyat, Tehsil- Dindori, District- Dindori (M.P.) by Shri Umakant Sharma, Director, M/s Udit Infraworld Private Limited, White House, Arjun Nagar, Rewa (M.P.) - 486001.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 789 वी बैठक दिनांक 29.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**ए**) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 789 वी बैठक दिनांक 29.04.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – डिंडोरी के आदेश क्रमांक 109 दिनांक 18.06.2024 के अनुसार नर्माण कार्य की अवधि तक के लिए उत्खनन अनुज्ञा (अस्थायी अनुज्ञा) की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.06.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं स्टॉप डैम से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. **Case No. P2/242/2024** - Prior Environment Clearance for Gopalpura Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (1000 Cum/Annum) (Khasra No.: 938), Village- Gopalpura,Tehsil-Sitamau, District Mandsaur (M.P.) by Shri Subhash Chandra Karnavat, IOC Mandsaur. The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal,ParyawasBhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 789 वी बैठक दिनांक 29.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलहाकार का प्रस्तुत शपथ पत्र नोटराईज्ड नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

7. **Case No. P2/241/2024** - Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (1000 Cum/Annum) (Khasra No.: 122), Village- Jetpura,Tehsil- Sitamau, DistrictMandsaur (M.P.) by Shri Subhash Chandra Karnavat, IOC Mandsaur. The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal,ParyawasBhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 789 वी बैठक दिनांक 29.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलहाकार का प्रस्तुत शपथ पत्र नोटराईज्ड नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **Case No. P2/281/2024** - Prior Environment Clearance for AloteJagir 2, River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (3,000 cum per year) (Khasra No. 2), Village- AloteJagir, Tehsil - Nagda , District- Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal,ParyawasBhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 789 वी बैठक दिनांक 29.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा पंचशाला की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

9. **Case No. P2/233/2024** - Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.10 Hectare, for production capacity of 6000 cum/year, Khasra No.- 243, in Village - Umarkhali, Tehsil - Gogawa, District - Khargone (MP) by Shri Nahar Khan Patan, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal,ParyawasBhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 789 वी बैठक दिनांक 29.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में पर्यावरण सलहाकार का प्रस्तुत शपथ पत्र में पर्यावरण सलाहकार के हस्ताक्षरित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10. **Case No P2/295/24 :** Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.00 Hectare, for Production capacity 1000 cum per annum, Khasra No.- 129, 298, 274 in Village - Itawa , Tehsil - Nagda, District - Ujjain (MP), by Shri Dinesh Sharma, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 786वी बैठक दिनांक 16.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच चेक डेम एवं निर्माणधीन ब्रिज 200 मीटर की दूरी पर परिलक्षित है, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand** 2020 में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** **अनुसार रोड़ ब्रिज एवं चेक डेम से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

11. **Case No. P2/293/2024** Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.89 Hectare, for Production capacity 3000 cum per annum, Khasra No.- 1, 899, 828, Village - Kaytha, Tehsil - Tarana, District - Ujjain (MP), by Shri Dinesh Sharma, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 791 वी बैठक दिनांक 08.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

''...... प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि लीज क्षेत्र के बीच में एक पक्का रोडब्रिज स्थित है एवं रोडब्रिज से 173 मी. की दूरी पर दक्षिण–पश्चिम ओर एक निर्माणाधीन स्टापडेम है तथा दक्षिणी दिशा में लीज क्षेत्र से 51 मी. की दूरी पर एक दूसरा पक्का रोडब्रिज स्थित है समिति ने पाया कि सेंड माईनिंग गाईडलाईन्स 2016 एवं 2020 के अनुसार सेडबेक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र 0.53 हे. एवं 1.1 हे. (कुल क्षेत्र 1.64 हे.) जो कुल खनन क्षेत्र 6.89 का मात्र 23 प्रतिशत है तथा एकसाथ उपलब्ध नहीं है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता/आर्थिक (economic viability) रूप से दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। ....''

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 791 वी बैठक दिनांक 08.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. **Case No.P-2/1318/2025** Prior Environment Clearance for Kudi Silica Sand deposit Quarry in an area of 1.50 ha. (Minable area 1.2383 As per SEAC recommendation) for the production capacity of Silica Sand -12500 MT/Year at Khasra No. 222/2, in Village- Kudi, Tehsil- Teonthar, District- Rewa (M.P.) by Shri Vivek Gupta S/O Late Shri Rajkumar Gupta, Lessee, R/o Add. – Ward no 5, Line par Pathat Road, Modinagar, Shankargarh District Prayagraj (U.P) [Fresh B-2]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 791 वी बैठक दिनांक 08.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 791 वी बैठक दिनांक 08.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का पत्र कमांक 12622–24 दिनांक 21.09.2023 के अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.09.2053 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क के दोनों ओर से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षो का काटा नही जायेगा एवं अपितु उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. **Case No 11032/2023** Prior Environment Clearance for Ghatiniya Laterite Mining Project for the production capacity of 120334 cum per year (**As per SEAC recommendation**) in an area of 5.4820 ha. at Khasra No. 13/1, 13/3, 14/1, 14/2), 15/2, 16/1/1, 16/1/2, 16/2, 16/3/1, 16/3/2, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 38/1, 40/1, 40/2, 41, 42 in Village-Ghamiraha, Tehsil Majhgawan, District-Satna (MP) by Shri Girdhari Lal Gour, Partner, R/o A-44, New ACC Colony, Mahadev Nagar Road, District-Katni (MP)-483501, [519930] (EIA).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 783वी बैठक दिनांक 08.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र एवं परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र अपलोड नही किया गया हैं, जो प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड किया जाना था।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में खसरा क्र. 13/1, 13/3, 14/1, 14/2, 15/2, 16/1/1, 16/1/2, 16/2, 16/3/1, 16/3/2, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 38/1, 40/1, 40/2, 41, 42 के भूस्वामीयों की सहमति अपलोड नहीं की गई जिसे आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड किया जाना था।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

14. **Case No. P2/283/2024** Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method) in an area of 5.0 ha. (Mineable area 4.27 ha. as per SEAC recommendation), for production capacity of 1650 Cum/Annum (as per SEAC recommendation), Khasra No.: 718, 855, Village- Guradiya Sanga, Tehsil- Nagda, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट – बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 790वी बैठक दिनांक 07.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** **अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। **उपरोक्तानुसार पक्के रोड़ ब्रिज के दोनो ओर नो माईनिंग जोन के साईनेज अनिवार्यतः स्थापित करवाए जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 5.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 4.27 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. Case No. P2/280/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method) in an area of 5.0 ha., for production capacity of 2000 Cum/Annum, Khasra No.: 373, Village- Parolya Padma, Tehsil- Nagda, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट – बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 790वी बैठक दिनांक 07.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार चेक डेम के स्पैन की 05 गुना दूरी तक अप स्ट्रीम तरफ एवं 10 गुना दूरी तक डाउन स्ट्रीम तरफ"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

16. **Case No. P2/296/2024** Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method) in an area of 5.0 ha., for production capacity of 2000 Cum/Annum, Khasra No.: 986, Village- Sarwana Unhel, Tehsil- Nagda, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट – बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 790वी बैठक दिनांक 07.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

17. **Case No. P2/277/2024** Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method) in an area of 8.880 ha., for production capacity of 3525 Cum/Annum, Khasra No.: 158, Village- Rudrakheda, Tehsil- Mahidpur, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट – बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 790वी बैठक दिनांक 07.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** **अनुसार चेक डेम से न्यूनतम 750 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। **उपरोक्तानुसार चेक डेम के दोनो ओर नो माईनिंग जोन के साईनेज अनिवार्यतः स्थापित करवाए जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

18. **Case No. P2/299/2024** Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method) in an area of 6.00 ha., for production capacity of 2000 Cum/Annum, Khasra No.: 315, Village- Pipliyabhim, Tehsil- Mahidpur, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 35 मीटर की दूरी पर चेक डेम परिलक्षित है, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार चेक डेम से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. **Case No. P2/284/2024** Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method) in an area of 2.65 ha., for production capacity of 1200 Cum/Annum, Khasra No.: 229, Village- Pagara, Tehsil- Nagda, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट – बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 790वी बैठक दिनांक 07.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

20. **Case No. P2/297/2024** Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method) in an area of 1.66 ha., for production capacity of 800 Cum/Annum, Khasra No.: 385, Village- Karnawad, Tehsil- Nagda, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 63 मीटर की दूरी पर रोड़ ब्रिज एवं चेक डेम परिलक्षित है, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार रोड ब्रिज एवं चेक डेम से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेन्ट की विशिष्ट शर्तेः

1. This EC will be subject to the establishment criteria to be decided by the MPPCB.
2. Proponent shall strictly comply the design criteria for incinerator, autoclave, shredder and all other requirements as per CPCB guidelines.
3. ZLD status shall be maintained all the time.
4. PP should ensure to implement the need base activities under CER in consultation with district administration/village panchayat.
5. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
6. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
7. PP will take prior permission of MPPCB for establishing CBWTF at the site in reference to revised guideline of CPCB-2016 for CBWTF before installation.
8. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP
9. PP should install adequate ETP for treatment and disposal of effluent and Zero discharge should be maintained.
10. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water.
11. Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-Medical Waste Common Hazardous Wastes Incinerators shall be followed.
12. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
13. Ecosorb (organic and biodegradable chemical) and alumina will be used around odor generation areas at regular intervals for dilution of odorant by odor counteraction or neutralize.
14. PP will ensure to use only non chlorinated bags for handling and storing bio medical waste. In any case, PP is not allowed to use poly and plastic bags.
15. All safety measures will be strictly followed by workers for handling of Bio medical waste bags during storage and feeding at incinerator to prevent health hazards.

16. Incinerator should be properly interlocked with venture scrubber to control air pollution.
17. Incinerated ash and ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard should be done prior to the commencement.
18. Color coding for handling waste be strictly followed as per BMW Rules 2016.
19. PP should ensure the rain water harvesting by providing of recharging pits. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.
20. PP will install continuous online monitoring system to monitor the emissions from the stack. Periodical air quality monitoring in and around the site shall be carried out. The parameters shall include Dioxin and furan.
21. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.
22. Necessary provision shall be made for fire fighting facilities within the complex.
23. PP should carryout periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC.
24. PP shall ensure to conduct quarterly health check up of workers working in the plant.
25. PP will construct garland drain of appropriate size and settling tank with stone pitching all around the plant premises.
26. PP should develop 5 m green belt all along the periphery of the species that are significant and used for the pollution abatement. Besides this, PP will explore the possibility to develop dense green belt by planting thick foliage trees.
27. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.
28. The proponent should ensure that the project fulfills all the provisions of Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration - 2005, issued by CPCB.

29. The Leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

30. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

31. The containers should be covered during transportation in order to prevent exposure of public to odors and contamination.

32. PP should have two storage rooms separately for treated and untreated waste.

33. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.

34. PP should develop green belt at least minimum of 33% in plant premises as per CPCB guidelines with native species/Pollution absorbing species.

35. All the recommendations, mitigation measures,environmental protection measures and safeguards proposed in the EIA report of the project submitted by project proponent vide commitments made during presentation before SEAC and proposed in the EIA report shall be strictly adhered to in letter and spirit.

36. The unit shall strictly comply with CPCB guidelines for setting up the common biomedical waste treatment facility.